भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2896
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू उड़ान सेवाओं का विस्तार

2896. श्री अरुण गोविल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने के लिए विमानपत्तनों का विकास आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार का विचार देश भर में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू उड़ान सेवाओं के विस्तार का है क्योंकि 500 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) संपर्क बढ़ाने के लिए हवाईअड्डों का विकास महत्वपूर्ण है, जिससे आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे, व्यापार और पर्यटन का विकास होगा एवं दूरदराज के क्षेत्रों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति 2008 के अंतर्गत अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 12 हवाईअड्डों का प्रचालन शुरू हो चुका है।
सरकार ने जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के के लिए देशभर में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की। आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत 87 हवाईअड्डों (13 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रमों सहित) का प्रचालन शुरू किया गया है।

(ख) सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर (नोएडा) हवाईअड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है, जो निर्माणाधीन है। इसके अलावा, अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत विकास के लिए 18 (अठारह) हवाईअड्डों की पहचान की गई है। 12 हवाईअड्डों नामत:
आगरा, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, हिंडन, कुशीनगर, अलीगढ़, आज़मगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद और चित्रकूट तथा अयोध्या हवाईअड्डे का प्रचालन शुरू हो चुका है। सहारनपुर हवाईअड्डा प्रचालन के लिए तैयार है। उड़ान एक सतत योजना है, जिसके तहत अधिक से अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है।
मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। इसलिए, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे विशिष्ट स्थानों पर यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन हवाई सेवाएं प्रदान करें।

******